



## झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक कॉलोनी परिसर, राँची-834009, झारखण्ड, भारत  
RIMS Doctors' Colony Campus, Ranchi-834009, Jharkhand, India  
E-mail: jspcouncil@gmail.com; Tels-Fax: -0651-2972981



डॉ. ब्रिन्दरा प्रसाद सिंह  
निदेशक-प्रमुख  
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड एन  
आरबी  
Dr. Brindra Prasad Singh  
Director in Chief  
Health Services, Jharkhand cum  
Chairman

डॉ.डी.के.सिंहा  
सहाय विभाग, रिम्स, राँची एवं  
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी  
निदेशक  
Prof. Dr. D.K. Sinha  
Surgery Dept. RIMS,  
Ranchi cum  
Member Secretary &  
Executive Director

डॉ.एम.जी.गुप्ता  
विभागाध्यक्ष चक्षु विभाग,  
रिम्स, राँची एवं  
शैक्षणिक समन्वयक  
Prof. Dr. M.K. Gupta  
Head of Dept.,  
Dept. of Ophthalmology  
RIMS, Ranchi cum  
Academic Coordinator

डॉ. एम. दीपक लाला  
सबु विंग विभाग, रिम्स, राँची एवं  
निर्वाहक  
Dr. M. Deepak Lalra  
Dept. of Ophthalmology  
RIMS, Ranchi cum  
Registrar

डॉ. राजीव कुमार  
समन्वयक विभाग/ रिम्स राँची एवं  
परीक्षा नियंत्रक  
Dr. Rajiv Kumar  
Dept. of Anatomy  
RIMS, Ranchi cum  
Examination Controller

सं.सं.-परा.प्र.के. / मान्यता-15 / 2023 206

प्रेषक,

प्रो.डॉ.डी.के. सिंहा  
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक  
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची।

सेवा में

प्राचार्य,  
मैदनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, मैदनीनगर, पलामू

राँची, दिनांक: 12/10/2023

विषय:- पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्रान्त प्रस्तावित संस्थान, राजकीय पारामेडिकल संस्थान, मैदनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, मैदनीनगर, पलामू का गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को जांचित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद गठन नियमावली-2010 की कण्डिका-15 से 25 के अलोक में निम्न पाठ्यक्रमों की मान्यता शर्तों के साथ वर्ष 2023-24 से जगलें जादेश तक दी जाती है:-

क्रम सं.	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
i.	Diploma in Medical Laboratory Technician	20
ii.	Diploma in O.T. Technician/Assistant	05
iii.	Diploma in X-Ray Tech./Radiographer	05
iv.	Diploma in Ophthalmic Assistant	05
v.	Diploma in Hearing Language & Speech Therapy	02
vi.	Diploma in ECG/Non Invasive Cardiology Lab Technician	05
vii.	Diploma in Anesthesia Technician	05

शर्तों:-

- 1- झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाय जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद को प्रतिवर्ष देय होगा।
- 2- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची, विनियमावली 081 / झा.रा.पा.प. राँची, दि. 25.03.2014 के अनुसार छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं "फी" ले सकेंगे।

- This is...
3. आप प्रतिवर्ष पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमवार छात्रों के नामांकन की पूर्ण विवरणी नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची को संचुचित करेंगे।
  4. यह मान्यता झारखण्डराज्य पारामेडिकल परिषद् के शासी परिषद् की बैठक की प्रत्याशा में दी जा रही है, मान्यता की घटनोत्तर स्वीकृती अगली शासी परिषद् की बैठक में ले ली जायेगी।

विश्वासमानजन

(प्रो. डॉ. डी.के. सिन्हा)

सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक  
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची।